तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/2490/2004/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम श्रवणदास व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री शांतिप्रकाश ओझा, राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

——

आदेश

दिनांकः— 06.03.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 13.02.2004 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बस्सी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक एकीकरण खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी संवत् 2019 ग्राम चरणगढ़ तहसील बस्सी में खसरा संख्या 40 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा माफी मंदिर श्री बांकेबिहारी जी वाकै देह पुजारी श्रवणदास पुत्र चन्दरदास व गणेशदास पुत्र मानदास जाति स्वामी सा0देह की खातेदारी में दर्ज थी एवं कृषक के कॉलम में खुद माफीदार दर्ज था। कालांतर में जमाबंदी संवत् 2026 बनाते समय उक्त भूमि बिना किसी वैध आदेश के माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए श्रवणदास पुत्र चंद्रदास व गणेशदास पुत्र मानदास कौम स्वामी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। गणेशदास की मृत्यु होने पर नामांतकरण संख्या 43 विरासत स्वीकार होकर मूलचंद पुत्र गणेशदास व रामजीवन पुत्र कल्याणदास के नाम व मूलचंद की मृत्यु के बाद नामांतकरण संख्या 124 विरासत के द्वारा वारिसान रामकिशोर, मोहन पिता मूलचंद के नाम स्वीकार होकर वर्तमान जमाबंदी संवत् 2052–55 में भूमि की खातेदारी श्रवणदास पुत्र चंद्रदास, रामकिशोर, मोहन पिता मूलचंद, रामजीवण पुत्र कल्याणदास जाति स्वामी सा0देह के नाम दर्ज है। चूंकि पूर्व रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी माफी मंदिर श्री बांकेबिहारी जी की खातेदारी में दर्ज थी तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो कि अवैध है। चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी माफी मंदिर श्री

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/2490/2004/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम श्रवणदास व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बांकेबिहारी वाकै देह के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2004 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है । विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री बांकेबिहारी जी की खातेदारी में संवत् 2019 तक दर्ज थी, जिसे बाद में माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए अप्रार्थी श्रवणदास पुत्र चंद्रदास व गणेशदास पुत्र मानदास कौम स्वामी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। गणेशदास की मृत्यु होने पर नामांतकरण संख्या 43 के द्वारा मूलचंद पुत्र गणेशदास, रामजीवन पुत्र कल्याणदास के नाम व मूलचंद की मृत्यु के बाद नामांतकरण संख्या 124 के द्वारा पुत्र रामकिशोर, मोहन पिता मूलचंद के नाम स्वीकार होकर वर्तमान जमाबंदी संवत् 2052–55 में खातेदारी श्रवणदास पुत्र चंद्रदास, रामकिशोर, मोहन पिता मूलचंद, रामजीवन पुत्र कल्याणदास जाति स्वामी सा0देह के नाम दर्ज है। उक्त आराजी का हस्तांतरण बिना किसी सक्षम आदेश के किया गया है, जो अवैध है। चूंकि काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है। नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। विपक्षीगण के खाते में नियमों के विरूद्ध मंदिर मूर्ति की भूमि को दर्ज किया गया है। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है, इसकी खातेदारी की भूमि अन्य के नाम नहीं हो सकती है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः माफी मंदिर श्री बांकेबिहारी जी वाकै देह के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/2490/2004/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम श्रवणदास व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम चरणगढ़ तहसील बस्सी की खतौनी एकीकरण संवत् 2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा संख्या 40 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री बांकेबिहारीजी वाकै देह पुजारी श्रवणदास पुत्र चंद्रदास व गणेशदास पुत्र मानदास जाति स्वामी सा0देह की खातेदारी में दर्ज थी एवं कृषक के कॉलम में खुद माफीदार दर्ज था। कालांतर में जमाबंदी संवत् 2026 बनाते समय उक्त भूमि बिना किसी वैध आदेश के माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए श्रवणदास पुत्र चंद्रदास व गणेशदास पुत्र मानदास कौम स्वामी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। गणेशदास की मृत्यु होने पर नामांतकरण संख्या 43 विरासत स्वीकार होकर मूलचंद पुत्र गणेशदास व रामजीवन पुत्र कल्याणदास के नाम व मूलचंद की मृत्यु के बाद नामांतकरण संख्या 124 विरासत के द्वारा वारिसान रामकिशोर, मोहन पिता मूलचंद के नाम स्वीकार होकर वर्तमान जमाबंदी संवत् 2052–55 में भूमि की खातेदारी श्रवणदास पुत्र चंद्रदास, रामकिशोर, मोहन पिता मूलचंद, रामजीवण पुत्र कल्याणदास जाति स्वामी सा0देह के नाम दर्ज है। चूंकि पूर्व रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी माफी मंदिर श्री बांकेबिहारी जी की खातेदारी में दर्ज थी तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो कि अवैध है। ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 ए के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री बांकेबिहारीजी वाकै देह की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 13.02.2004 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम चरणगढ़ तहसील बस्सी की आराजी खसरा संख्या 40 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/2490/2004/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम श्रवणदास व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण की दी गई खातेदारी/पर अप्रार्थीगण के नाम किए गए समस्त इंद्राजों एवं नामांतकरणों को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि पुनः माफी मंदिर श्री बांकेबिहारीजी वाके देह की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	